प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं.................346/2022 दिनांक 2/9/2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7...........

(2) अधिनियम.............................. धारायें ....

(3) अधिनियम........................ धारायें..

(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या...............37..........समय.........6:00 PM

(ब) अपराध के घटने का दिन :– शुक्रवार, दिनांक 31.05.2022, समय 10 ए0एम0 से 5.30 पीएम के मध्य

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 31.05.2022, समय 5.30 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पूर्व 15 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से

(ब) पता – पटवार भवन सोहेला जिल टोंक ......बीट संख्या .....जरायमदेही सं........

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला...............

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ).–नाम :– **जुगल किशोर गोयल पुत्र श्री भगवान सहाय जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 147 अग्रसेन नगर श्रीराम की नांगल बीलवा सांगानेर जयपुर**

(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय

(स).–पासपोर्ट संख्या..........................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह.

(द).–व्यवसाय :– बेरोजगार ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन ग्राम जौला तहसील पीपलू जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– मांग राशि रूपयें 30,000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य ––––

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोंक

विषय :– रिश्वत लेते हुये पटवारी को पकडवाने बाबत्।

महोदय,

निवेदन है कि मैं जुगल किशोर गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानसहाय जाति महाजन उम्र 53 साल निवासी प्लाट नम्बर 147 अग्रसेन नगर श्रीराम की नांगल बीलवा सांगानेर जयपुर का निवासी हुं। मेरे व मेरी पत्नि मीरा गोयल के नाम से ग्राम जबाड़िया पटवार हल्का सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक के खसरा संख्या 555/4 रकबा 0.7587 हैक्टर कृषि भूमि है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह

नष्ट हो चुके है, जिसके लिए हमनें पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी पीपलू में वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 22.04.2022 को पत्थरगढ़ी के आदेश हो चुके है तथा दिनांक 27.04.2022 को उक्त आदेश की पालना में तहसील कार्यालय पीपलू से भी पटवार हल्का सोहेला को आदेश जारी हो चुके है, परन्तु सोहेला पटवारी श्री नारायण सेन सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने की एवज में 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, तथा रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी पटवारी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन–देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
जुगल किशोर गोयल पुत्र श्री भगवान सहाय जाति महाजन
निवासी प्लाट नम्बर 147 अग्रसेन नगर श्रीराम की नांगल बीलवा
सांगानेर जयपुर मो.न. 9772869263

<u>कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक</u>

दिनांक 31.05.2022 को परिवादी जुगल किशोर गोयल पुत्र श्री भगवान सहाय जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 147 अग्रसेन नगर श्रीराम की नांगल बीलवा सांगानेर जयपुर ने उपस्थित होकर मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "मेरे व मेरी पत्नि मीरा गोयल के नाम से ग्राम जेबाड़िया पटवार हल्का सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक के खसरा संख्या 555/4 रकबा 0.7587 हैक्टर कृषि भूमि है। उक्त भूमि के सीमा चिन्ह नष्ट हो चुके है, जिसके लिए हमनें पत्थरगढ़ी करवाये जाने हेतु उपखण्ड अधिकारी पीपलू में वाद प्रस्तुत किया था, जिस पर दिनांक 22.04.2022 को पत्थरगढ़ी के आदेश हो चुके है तथा दिनांक 27.04.2022 को उक्त आदेश की पालना में तहसील कार्यालय पीपलू से भी पटवार हल्का सोहेला को आदेश जारी हो चुके है, परन्तु सोहेला पटवारी श्री नारायण सेन सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने की एवज में 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, तथा रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुँ। मेरी पटवारी से किसी प्रकार की कोई रंजीश व पैसों का लेन–देन नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। "प्रार्थना पत्र परिवादी जुगल किशोर गोयल को पढ़कर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं के बेटे की हस्तलेखनी में लिखा होना तथा स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि "मैं जयपुर को निवासी हुं, परन्तु वर्ष 2017 में मैनें मेरे व मेरी पत्नि के नाम से ग्राम जेबाड़िया पटवार हल्का सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक के खसरा संख्या 555/4 में करीब 3 बीघा जमीन खरीदी थी, जिसका नामान्तकरण वर्ष 2017 में ही मेरे व मेरी पत्नि के नाम से खुल चुका था। उक्त कृषि भूमि की सीमाओं पर चिन्ह नष्ट हो चुके है। मुझे पैसों की आवश्यकता है, इसलिये मैं उक्त जमीन का वापस बेचान करना चाहता हुं, जिसके लिए मैनें जमीन खरीद–फरोख्त से सम्बन्धित (प्रॉपर्टी डीलर) व्यक्तियों से सम्पर्क किया तो सभी ने पहले सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी हेतु कहा। जिस पर मैनें सोहेला पटवारी श्री नारायण सेन से सम्पर्क किया तो उसने सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने की एवज में 35 हजार रूपये की मांग की। चूकिं मैं जयपुर का निवासी हुं तथा प्रॉपर्टी डीलर के मार्फत अपनी जमीन का बेचान करना चाहता हुं, इसलिये जब भी मैं पटवारी से मिलता हुं या जमीन देखने जाता हुं तो प्रॉपर्टी डीलर मेरे साथ ही रहता है, यदि प्रॉपर्टी डीलर को ट्रेप कार्यवाही के बारें में पता लग जायेगा तो वह कार्यवाही नहीं होने देगा। आज दिनांक 31.05.2022 को भी मैं, मेरी पत्नि, मेरा पुत्र एवं प्रॉपर्टी डीलर पटवारी श्री नारायण सेन से मिलकर आये थे, आज भी पटवारी ने एक कागज पर लिखकर 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, मेरे पुत्र ने उक्त वार्ता का अपने मोबाईल फोन में ऑडियो एवं विडियों बना लिया है, जो एक सीडी में डालकर मैं आपको पेश कर रहा हुं। मैं ऐसे भ्रष्ट पटवारी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। परिवादी ने खसरा संख्या 555/4 रकबा 0.7587 हैक्टर भूमि की नकल जमाबन्दी की प्रति, एवं उपखण्ड अधिकारी पीपलू व तहसीलदार पीपलू द्वारा सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी हेतु जारी आदेश की प्रति एवं स्वयं के आधार

कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति तथा मांग सत्यापन से सम्बन्धित ऑडियो/विडियो सीडी पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाने से कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि "मैं आज ही पटवारी से मिलकर आया हु, तथा मैं पटवारी से प्रॉपर्टी डीलर के साथ ही मिलता हु। मैं अकेले उसके पास जाउंगा तो उसको शक हो जायेगा। मैं 1–2 दिन बाद पुनः पटवारी से मोबाईल पर वार्ता करूगां। पटवारी ने शुक्रवार दिनांक 03.06.2022 को सीमाज्ञान करने की हां की है तथा रिश्वत की आधी राशि यानि 15 हजार रूपये भी उसी दिन देने है, दिनांक 03.06.2022 को भी मैं प्रॉपर्टी डीलर के वाहन से उसके साथ ही पटवारी के पास जाउंगा।" चुकिं परिवादी उसके हमराह प्रॉपर्टी डीलर से कार्यवाही की गोपनीयता रखना चाहता था, तथा 1–2 दिन बाद जरिये मोबाईल मांग सत्यापन करवाना चाहता था, अतः परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने से पूर्व मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अवगत कराने हेतु आवश्यक हिदायत कर रूख्सत किया गया। दिनांक 02.06.2022 को परिवादी श्री जुगलकिशोर गोयल से जरिये मोबाईल वार्ता की गयी, परिवादी ने बताया कि "कल दिनांक 03.06.2022 को मेरी जमीन का सीमाज्ञान होना था, परन्तु जमीन का पूर्व मालिक भैरू कहीं बाहर होने से कल कोई कार्यवाही नहीं हो पायेगी, कार्यवाही होने के एक दिन पूर्व ही मैं आपको बता दुगां।" दिनांक 03.06.2022 को परिवादी श्री जुगलकिशोर गोयल ने जरिये मोबाईल बताया कि हरिओम प्रॉपर्टी डीलर का फोन आया था, जिसने बताया कि यदि भैरू (जमीन का पूर्व मालिक) नहीं आयेगा तो पटवारी जी को और पैसे देने पड़ेगे तभी वह सीमाज्ञान करेगा। मुझे आज ही पटवारी से मोबाईल पर बात करनी है, परन्तु मेरी तबियत खराब होनें से मैं आज टोंक नहीं आ सकता। चुकिं परिवादी को उक्त दिनांक को ही जरिये मोबाईल पटवारी से वार्ता करनी थी एवं परिवादी एसीबी टोंक कार्यालय पर उपस्थित होने में असक्षम था, अतः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय मनोज कुमार है0का0 मय वॉयस रिकार्डर मय प्राईवेट वाहन के एसीबी चौकी टोंक से रवाना होकर परिवादी के निवास स्थान बीलवा, जयपुर पहुंचा, जहां पर तलबशुदा परिवादी श्री जुगलकिशोर उपस्थित है, परिवादी ने बताया कि आज मेरी जमीन का सीमाज्ञान होना था, परन्तु पटवारी ने और रिश्वत लेने के मकसद से मेरी जमीन का सीमाज्ञान नहीं किया, मुझे पटवारी श्री नारायण सेन से मोबाईल पर वार्ता करनी है। जिस पर परिवादी को आवश्यक समझाईस कर परिवादी के मोबाईल नम्बर 9772869263 से पटवारी नारायण सेन के मोबाईल नम्बर 8209504707 पर वार्ता करवायी गयी तो पटवारी ने पूर्व में मांगी गयी रिश्वत राशि के अतिरिक्त 2–3 हजार रूपये और लेकर जमीन का सीमाज्ञान करने की हां की, तथा सीमाज्ञान कब किया जायेगा के सम्बन्ध में बाद में बताने के लिए कहा। मोबाईल का लाउडस्पीकर ऑन करवाकर उक्त वार्ता को वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया गया, जिसकी पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गयी। परिवादी जुगलकिशोर ने बताया कि "जब भी पटवारी जमीन का सीमाज्ञान करेगा उससे 1–2 दिन पूर्व मुझे बतायेगा। पटवारी का फोन आते ही मैं आपको बता दूगां।" जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के जयपुर से रवाना होकर एसीबी चौकी टोंक पहुंचा। इसके पश्चात् दिनांक 06.06.2022 एवं 10.06.2022 को परिवादी ने जरिये मोबाईल बताया कि पटवारी अभी तक सीमाज्ञान करने हेतु तारीख तय नहीं कर रहा है, तारीख तय होते ही मैं आपसे सम्पर्क कर लूगां। परिवादी को आवश्यक समझाईस की गयी। दिनांक 21.06.2022 को परिवादी ने जरिये मोबाईल बताया कि "मेरी आज पटवारी से वार्ता हुयी थी, वो कल मेरी जमीन का सीमाज्ञान करके पत्थरगढ़ी करवा देगें। इसलिये उन्होनें मुझे पैसे लेकर कल दिनांक 22.06.2022 को सुबह 10 बजे सोहेला स्थित उनके कार्यालय में बुलाया है।" चुकिं आरोपी ने परिवादी को दिनांक 22.06.22 को सुबह 10 बजे बुलाया है, अतः परिवादी को उससे पूर्व एसीबी टोंक कार्यालय में उपस्थित आने हेतु आवश्यक समझाईस की गयी एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से

आयुक्त नगर परिषद् टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री महेश कुमार कानि 17 को रवाना किया गया। समय 5.30 पी0एम0 पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह 1– श्री मंगल सैनी कनिष्ठ सहायक नगर परिषद् टोंक तथा 2– श्री अजय कुमार सैलीवान कनिष्ठ लिपिक नगर परिषद् टोंक उपस्थित आये। गवाहान को सुबह 7 एएम पर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 22.06.2022 समय 7.30 ए0एम0 पर दोनों स्वतंत्र गवाह एवं परिवादी थोड़े-थोड़े अन्तरात से एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 31.05.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। समय 8.00 ए0एम0 पर परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र के संलग्न पेश सीडी में दर्ज विडियों से सम्बन्धित सीडी को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 8.30 ए0एम0 पर सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री राजकुमार कानि0 160 से टाईप करवाकर तैयार की गई। समय 9.15 ए0एम0 पर परिवादी जुगलकिशोर को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 2000–2000 रूपये के 7 नोट एवं 500–500 रूपये के दो नोट कुल 15,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री भूपेन्द्र कुमार सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 15 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहने हुयी पेन्ट की दाहिनी जेब की तलाशी गवाह श्री मंगल सैनी से लिवाई जाकर कोई शेष नहीं छोडते हुए उक्त राशि उक्त जेब में भूपेन्द्र कुमार से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी जुगलकिशोर को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने मोबाईल से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 9.40 ए0एम0 पर परिवादी श्री जुगलकिशोर को उसकी स्वयं द्वारा किराये से लायी गयी गाड़ी से, कानि0 महेश कुमार व स्वतंत्र गवाह अजय कुमार को स्वयं की मोटर साईकिल से एवं राजकुमार कानि0 160 व जलसिंह को स्वयं की मोटर साईकिल से रवाना कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्टाफ सर्वश्री मोहम्मद जुनैद है0का0 32, मनोज कुमार है0का0 119, ईश्वर प्रकाश कानि0 256 एवं स्वतंत्र गवाह श्री मंगल सैनी तथा तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, वॉयस रिकार्डर (जिसमें खाली मेमोरी कार्ड) के प्राईवेट वाहन से सोहिला के लिए रवाना होकर समय 10.05 ए0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं हमराहियान के सोहेला कस्बे से पहले पहुंचा, जहां पर लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 महेश कुमार से वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी को दिलवाया गया तथा परिवादी को आवश्यक हिदायत कर आरोपी से मिलने हेतु रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस मय हमराहियान के अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के निर्धारित ईशारे हेतु मुकिम हुये। परिवादी रवाना होकर सोहेला स्थित पटवारी के कार्यालय में पहुंचा, तथा कुछ देर बाद वहां से बाहर आकर परिवादी

ने ईशारे से बताया कि पटवारी अभी नहीं आया है। थोड़ी देर बाद परिवादी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को भी हमराह चलने हेतु ईशारा करते हुये पटवारी के कार्यालय से स्वयं की गाड़ी लेकर रवाना हो गया, मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी मय हमराहियान के परिवादी की गाड़ी के पीछे–पीछे प्राईवेट गाड़ी से रवाना हुआ, परिवादी गाड़ी से चलते–चलते जेबाड़िया गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर थोड़ी दुर जाकर रूक गयी, जहां पर और तीन व्यक्ति मोटर साईकिल से आ गये तथा परिवादी से आपस में चर्चा करने लगे। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपनी उपस्थिति छिपाते हुये, उसके आसपास ही मुकिम रहा। समय 02.50 पी0एम0 पर मौके पर और भी व्यक्ति और औरतें आ गयी, जिस पर मोटर साईकिल से आये हुये तीनों व्यक्ति परिवादी जुगलकिशोर को वही छोड़कर वहां से रवाना हो गये परिवादी ने भी रिश्वत राशि लेन–देन से सम्बन्धित ईशारा नहीं किया तथा स्वयं के वाहन को लेकर रवाना हो गया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान भी परिवादी के पीछे–पीछे रवाना हुआ। समय 03.15 पी0एम0 पर परिवादी एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के एसीबी कार्यालय टोंक पहुंचे। परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि "एसीबी कार्यालय से रवाना होकर मैं सौहेला स्थित पटवारी के कार्यालय पर पहुचां, लेकिन वहां पटवारी जी मौजूद नहीं थे, जिस पर मैनें उनसे जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो उन्होनें थोड़ी देर में आने के लिए कहा, कुछ समय बाद पटवारी जी ने मुझे मेरी जमीन पर ही बुलाया, जिस पर मैनें आपको ईशारा करते हुये मैं जेबड़िया स्थित मेरी जमीन पर चला गया, थोड़ी देर बाद श्री नारायण सेन पटवारी, भगवान जी गिरदावर एवं हरिओम नाम का एक व्यक्ति तीनों जमीन पर ही आ गये। पटवारी जी ने जमीन नापने से पहले भैरू (पूर्व जमीन मालिक) एवं आसपास के खेतों के मालिकों को बुलाने के लिए कहा, जिस पर मैनें कहा कि आपने पहले नहीं बताया अब मैं कहा से बुलाउं। लेकिन वो नहीं माने तथा आस–पडौस के खेत वालों को भी मौके पर बुलाया। आस–पडौस में स्थित खेत वालों ने मेरी उक्त जमीन पर किसी और का कब्जा होना बताया, मैनें मेरी जमीन के पूर्व मालिक भैरू को भी मौके पर बुलाया लेकिन वो नहीं आया, जिससे वाद–विवाद और बढ़ गया। वाद–विवाद को देखते हुये पटवारी व गिरदावर ने जमीन को नहीं नापा तथा वहां से रवाना हो गये। उन्होनें मेरे से पैसे भी नहीं लिये। जिस पर मैं भी वहां से रवाना होकर एसीबी कार्यालय में पहुंचा हुं।" जिस पर समय 4.40 पी0एम0 पर परिवादी श्री जुगलकिशोर की जेब आरोपी पटवारी को देने हेतु रखी गयी पावडरयुक्त रिश्वत राशि 15000 रूपये गवाह श्री मंगल सैनी से निकलवाई जाकर सुरक्षित रखी गयी। समय 4.50 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता को 3 पेन ड्राईव में कॉपी कर 2 पेन ड्राईव को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए–1,ए–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक पेन ड्राईव को अनुसंधान अधिकारी हेतु लिफाफे में रखकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 5.00 पी0एम0 पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफेद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क "एम" अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 5.15 पी0एम0 पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई।

आरोपी श्री नारायण सेन पटवारी को तहसीलदार पीपलू द्वारा जारी आदेश की पालना में परिवादी श्री जुगलकिशोर के खसरा संख्या 555/4 रकबा 0.7587 हैक्टर भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवानी थी, जिसके लिए परिवादी जुगलकिशोर ने पटवारी से सम्पर्क किया तो उसने

पत्थरगढ़ी की एवज में 30 हजार रूपये रिश्वत की मांग की तथा रिश्वत राशि सीमाज्ञान के दिन ही लेना तय हुआ, परन्तु दिनांक 22.06.2022 को सीमाज्ञान के दौरान परिवादी की जमीन पर किसी और का कब्जा होना पाया गया, उक्त जमीन विवादित होने से पटवारी व गिरदावर ने सीमाज्ञान नहीं किया तथा परिवादी को कब्जा प्राप्त करने के सम्बन्ध में आवश्यक समझाईस कर बिना रिश्वत प्राप्त किये ही वहां से चले गये। चूकिं परिवादी के कथन एवं लेन–देन के वक्त दर्ज वार्ता अनुसार परिवादी की उक्त जमीन पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा चला आ रहा है। दुसरे व्यक्ति का कब्जा होने से पटवारी व गिरदावर विवाद को देखते हुये जमीन का नाप नहीं कर रहे। ऐसी स्थिति में परिवादी को कब्जा प्राप्त करने हेतु पुनः न्यायालय से आदेश प्राप्त करने होगें। आरोपी को सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी के बाद रिश्वत दी जानी थी, पत्थरगढ़ी का काम नहीं होने से आरोपी ने रिश्वत भी नहीं ली है एवं लेने की सम्भावना भी नहीं है।

ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, परिवादी द्वारा पेश विडियो सीडी, पेन ड्राईव (आई0ओ0) में दर्ज लेन–देन से सम्बन्धित वार्ता, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री नारायण सेन, पटवारी पटवार हल्का सोहेला द्वारा परिवादी जुगलकिशोर की जमीन का सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने की एवज में 30 हजार रूपये की मांग करना पाया गया तथा रिश्वत राशि सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने के दिवस को लेना तय हुआ। दिनांक 22.06.2022 को पत्थरगढ़ी के समय मौके पर विवाद हो जाने से पटवारी एवं गिरदावर ने उक्त जमीन का सीमाज्ञान नहीं किया तथा पटवारी ने रिश्वत राशि भी प्राप्त नहीं की। आरोपी के उक्त कृत्य से जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 का जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित होना पाया गया।

अतः आरोपी श्री नारायण लाल सैन पुत्र श्री रामसहाय सैन ग्राम जौला तहसील पीपलू जिला टोंक हाल पटवारी पटवार हल्का सोहेला तहसील पीपलू जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नारायण लाल सैन, पटवारी, पटवार हल्का सोहेला, तहसील पीपलू, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 346/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

2.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 3008-12 दिनांक 02.09.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
4. जिला कलक्टर, टोंक।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

2.9.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।